

बूंदी जिला न्यायालय ने याचिकाकर्ता बैंकों पर 1.87 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

जयपुर, (का.सं.)। बैंकों और लोन लेने वाले व्यवसायियों के बीच विवाद के बाद बैंकों द्वारा ही नियुक्त मध्यस्थ (ऑर्बिटेटर) के बैंकों द्वारा ही प्रस्तुत तथ्यों को सुनकर अर्वाइंट दिये जाने की प्रथा खिलाफ बूंदी जिला न्यायालय ने एक कड़ा आदेश पारित किया है। बूंदी जिला न्यायालय के न्यायाधीश दिनेश कुमार गुप्ता ने बैंकों द्वारा नियुक्त एकमात्र (सोल) ऑर्बिटेटर द्वारा दिये गये अर्वाइंट को लागू करने के लिये दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आवेदन करने वाले बैंकों पर प्रति याचिका 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। गौरतलब है कि बूंदी जिला अदालत के समक्ष 748 याचिकाएं अर्वाइंट को क्रियान्वित करने के लिये प्रस्तुत की गई थी, यानी इस मामले में जुर्माने की कुल राशि एक करोड़ 87 लाख की है जिसे बैंकों को 30 दिन में बैंक के माध्यम से राजस्थान हाईकोर्ट

■ न्यायाधीश दिनेश कुमार गुप्ता ने बैंकों द्वारा नियुक्त ऑर्बिटेटर द्वारा एक पक्ष को सुनने के बाद दिये गये अर्वाइंट को लागू करने के लिये दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह जुर्माना लगाया है

■ अदालत के समक्ष इस मामले में 748 याचिकाएं अर्वाइंट को क्रियान्वित करने के लिये प्रस्तुत की गई थी

■ इस प्रथा के खिलाफ हाल ही में जयपुर स्थित कॉमर्शियल कोर्ट में कार्यरत न्यायाधीश रणधीर सिंह मिर्धा ने भी गलत ठहराया था और कहा था कि ऑर्बिटेटर को दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही अर्वाइंट जारी करना चाहिये।

के रजिस्ट्रार जनरल के नामजद अकाउंट में जमा कराना है। इस मामले में बैंकों की तरफ से करीब 17 अधिवक्ता अदालत में पेश हुए थे जबकि जिन व्यवसायियों के खिलाफ अर्वाइंट

दिये गये थे उनकी तरफ से कोई अधिवक्ता पैरवी के लिये पेश नहीं हुआ क्योंकि उनके पक्ष को सुने बगैर ही ऑर्बिटेटर ने उनके खिलाफ अर्वाइंट जारी कर दिया था। इन व्यवसायियों के

खिलाफ एकतरफा कार्यवाही करने की इस प्रथा के खिलाफ अदालत ने कठोर टिप्पणियां करते हुए जुर्माना लगाया।

दरअसल ज्यादातर बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान लोन देने के बाद विवादों से निपटने या ऑर्बिटेटर केवल एक ही पक्ष को सुनकर अर्वाइंट दे, दोनों को ही गैर कानूनी करार दे चुका है। परंतु बैंकिंग और वित्तीय सेक्टर में इसका अभी भी प्रचलन है क्योंकि बैंक लोन देते समय व्यवसायियों से अपनी शर्त मनवा लेते हैं। इस प्रथा के खिलाफ हाल ही में जयपुर स्थित कॉमर्शियल कोर्ट में कार्यरत न्यायाधीश रणधीर सिंह मिर्धा ने भी गलत ठहराया था और कहा था कि ऑर्बिटेटर को दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही अर्वाइंट जारी करना चाहिये।

बैंकों को लोन लेने वाले व्यवसायियों के जिला न्यायालय में याचिका दायर करनी होती है।

सुप्रीम कोर्ट इस प्रथा, की ऑर्बिटेटर को दोनों पक्षों को सहमत के बगैर नियुक्त किया जाये या ऑर्बिटेटर केवल एक ही पक्ष को सुनकर अर्वाइंट दे, दोनों को ही गैर कानूनी करार दे चुका है। परंतु बैंकिंग और वित्तीय सेक्टर में इसका अभी भी प्रचलन है क्योंकि बैंक लोन देते समय व्यवसायियों से अपनी शर्त मनवा लेते हैं। इस प्रथा के खिलाफ हाल ही में जयपुर स्थित कॉमर्शियल कोर्ट में कार्यरत न्यायाधीश रणधीर सिंह मिर्धा ने भी गलत ठहराया था और कहा था कि ऑर्बिटेटर को दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही अर्वाइंट जारी करना चाहिये।

अब बूंदी जिला न्यायालय ने न्यायाधीश रणधीर सिंह मिर्धा से मिसाल लेते हुए दूसरा ऐसा निर्णय दिया है।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से ओटीएस स्थित मुख्यमंत्री निवास पर बुधवार को पंकजसिटी प्रेस क्लब की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉ. वीरेन्द्र सिंह राठौड़ (बिल्लू बनो), महासचिव योगेन्द्र शर्मा पंचौली, उपाध्यक्ष विमल सिंह तंवर, राहुल भारद्वाज, कोषाध्यक्ष गिरिराज प्रसाद गुर्जर, कार्यकारिणी सदस्य डॉ. मोनिका शर्मा, पुष्पेन्द्र सिंह राजावत, अनिता शर्मा, सिद्धार्थ उपाध्याय, नमोनारायण अवस्थी, शालिनी श्रीवास्तव एवं उमंग माधुर उपस्थित रहे। इस अवसर पर नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने मुख्यमंत्री को पौधा भेंट किया।

‘तहसीलदार की रिपोर्ट के बावजूद 20 साल में भी क्यों नहीं हटाया कब्जा?’

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने अलवर के यूआईटी सचिव को नोटिस जारी कर पूछा है कि तहसीलदार की ओर से आम रास्ते पर अतिक्रमण होने की रिपोर्ट देने के बावजूद भी 20 साल में अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया गया। सीजेएम श्रीवास्तव और जस्टिस भुवन गोयल को खंडपीठ ने यह आदेश डॉ. अंबेडकर जन कल्याणकारी एवं विकास समिति, अलवर की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता राम अलवर ने अदालत को बताया कि अलवर के दाउदपुर से तलेडा जाने वाली साठ फीट चौड़ी रोड पर कई सालों से

■ हाईकोर्ट ने अलवर यूआईटी सचिव को नोटिस जारी किया

अतिक्रमण हो रहा है। आम दिनों में राहगीर पास के खाली खेत का उपयोग कर चले जाते हैं, लेकिन फसल खड़ी होने के दौरान अतिक्रमण के चलते रास्ता केवल पांच फीट का ही रह जाता है। जिसके चलते बड़ा चौपटिया वाहन भी वहां से नहीं गुजर सकता। अतिक्रमण के चलते एम्बुलेंस सहित अन्य दूसरे वाहनों को खाली परेशानी उठानी पड़ती है। याचिका में बताया गया कि तत्कालीन तहसीलदार ने जांच कर यहां

प्रभावशाली व्यक्ति के फार्म हाउस के कारण सड़क पर अतिक्रमण होना बताया था। तहसीलदार ने 16 मार्च, 2004 को यूआईटी को कार्रवाई के लिए पत्र भी लिखा था। इसके बावजूद अब तक मौके से अतिक्रमण नहीं हटाया गया है।

स्थानीय निवासी अब तक कई बार स्थानीय प्रशासन को अतिक्रमण हटाने के लिए शिकायत कर चुके हैं। वहीं अतिक्रमण हटाने के लिए कई बार आंदोलन तक किया जा चुका है, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने यूआईटी सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

‘प्रत्याशियों को करवाना होगा विज्ञापनों का अधिप्रमाणन’



जिला स्तरीय एमसीएमसी प्रकोष्ठ के प्रभारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम) सुरेश कुमार नवल ने बुधवार को कलेक्टर के जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी की राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।

जयपुर, (का.सं.)। ‘भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों की अनुपालना में प्रत्येक प्रत्याशी को अपने प्रचार-स्तरीय विज्ञापनों का जिला स्तरीय एमसीएमसी प्रकोष्ठ से अधिप्रमाणन करवाना आवश्यक है’ यह कहना है जिला स्तरीय एमसीएमसी प्रकोष्ठ के प्रभारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम) सुरेश कुमार नवल का। नवल ने यह बात बुधवार को कलेक्टर के आयोगित जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी की राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए कहा।

नवल ने कहा कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद प्रत्येक राजनैतिक दल के प्रत्याशियों एवं अन्य सभी प्रत्याशियों को चुनावी विज्ञापन का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी चैनल्स, रेडियो एफएम चैनल्स, सिनेमाघरों में प्रसारित किये जाने वाले विज्ञापन, बल्क एसएमएस, ऑडियो अथवा वीडियो संदेश सहित ई-पेपर में दिये जाने वाले विज्ञापनों का भी प्रकाशन एवं प्रसारण से पूर्व कमेटी द्वारा अधिप्रमाणन प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

एमसीएमसी प्रकोष्ठ प्रभारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में प्रमुख राजनैतिक दलों के अधिकृत

प्रतिनिधियों को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर गठित एमसीएमसी कमेटी की कार्यप्रणाली एवं निर्धारित विज्ञापन अधिप्रमाणन नियमों की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि मतदान दिवस एवं मतदान दिवस के एक दिन पूर्व समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों के लिए अधिप्रमाणन हेतु 48 घंटे पूर्व आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि मतदान दिवस के एक दिन पूर्व समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों के लिए अधिप्रमाणन हेतु 48 घंटे पूर्व आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि मतदान दिवस के एक दिन पूर्व समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों के लिए अधिप्रमाणन हेतु 48 घंटे पूर्व आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि मतदान दिवस के एक दिन पूर्व समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों के लिए अधिप्रमाणन हेतु 48 घंटे पूर्व आवेदन करना होगा।

चिकित्सा शिक्षा आयुक्त की अध्यक्षता में गठित पांच सदस्यीय कमेटी करेगी जांच

मानव अंग प्रत्यारोपण की फर्जी एन.ओ.सी. मामला

जयपुर, (का.सं.)। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर प्रदेश में मानव अंग प्रत्यारोपण की फर्जी एन.ओ.सी. मामले एवं निजी अस्पताल में अंग प्रत्यारोपण प्रकरण के संबंध में जांच के लिए चिकित्सा शिक्षा आयुक्त की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। यह समिति 15 दिवस में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा

शिक्षा, शुभा सिंह ने बताया कि चिकित्सा शिक्षा आयुक्त की अध्यक्षता में गठित इस उच्च स्तरीय कमेटी में रजिस्ट्रार राजस्थान मेडिकल कॉलेज, मानव अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण के प्राधिकृत अधिकारी, वरिष्ठ विधि परामर्शी तथा शासन उप सचिव चिकित्सा शिक्षा को सदस्य एवं नोडल अधिकारी-एनओटीपी को सदस्य सचिव के रूप में नामित किया गया है। यह समिति अंग

प्रत्यारोपण की फर्जी एनओसी प्रकरण, निर्धारित प्रावधानों के तहत मानव अंग प्रत्यारोपण के लिए पंजीकृत सभी निजी अस्पतालों के संबंध में निदेशक जनस्वास्थ्य द्वारा गठित निरीक्षण दलों के माध्यम से प्राप्त सत्यापित रिकॉर्ड की विस्तृत जांच करेगी। इसके साथ ही राज्य स्तरीय अधिप्रमाणन समिति की कार्य प्रणाली का परीक्षण कर लाइव ट्रांसप्लान्ट की मॉनिटरिंग के लिए एसओपी तैयार

मोदी 5 अप्रैल को चुरु आएंगे

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 5 अप्रैल को चुरु में विशाल “विजय शंखनाद सभा” को संबोधित करेंगे। भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने बताया कि शुक्रवार को पीएम मोदी सुबह 9:15 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद हेलीकॉप्टर से चुरु के लिए रवाना होंगे और पुलिस लाइन मैदान में सुबह 10:10 बजे विजय शंखनाद सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान भाजपा के नेता एवं पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके बाद तय कार्यक्रम के अनुसार पीएम मोदी सभा स्थल से सुबह 11:15 बजे जयपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे।

राहटकर आज भीलवाड़ा दौरे पर

जयपुर। भाजपा प्रदेश सह-प्रभारी विजया राहटकर भीलवाड़ा लोकसभा प्रत्याशी एवं भाजपा प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल की नामांकन सभा को संबोधित करेंगी। भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने बताया कि भाजपा प्रदेश सह-प्रभारी विजया राहटकर कल सुबह 9:30 बजे भीलवाड़ा के आजाद चौक पर होने वाली विशाल नामांकन सभा को संबोधित करेंगी।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सोपी जोशी कल दोपहर 12:30 बजे राजसमंद लोकसभा प्रत्याशी महिमा विश्वेश्वर सिंह की नामांकन सभा को संबोधित करेंगे।

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने अलवर के यूआईटी सचिव को नोटिस जारी कर पूछा है कि तहसीलदार की ओर से आम रास्ते पर अतिक्रमण होने की रिपोर्ट देने के बावजूद भी 20 साल में अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया गया। सीजेएम श्रीवास्तव और जस्टिस भुवन गोयल को खंडपीठ ने यह आदेश डॉ. अंबेडकर जन कल्याणकारी एवं विकास समिति, अलवर की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता राम अलवर ने अदालत को बताया कि अलवर के दाउदपुर से तलेडा जाने वाली साठ फीट चौड़ी रोड पर कई सालों से

युवक के सिर में बल्ले से वार कर हत्या की

जयपुर। करणी विहार थाना इलाके में देर रात शराब पीकर उत्पात मचा रहे युवक की इंस्पेक्टर के चेटे ने बल्ले से सिर पर वार कर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी युवक फरार हो गया था, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में मुक्त पार्क के पास से गुजरता नजर आ रहा है। इसके बाद आरोपी ने उस पर बल्ले से हमला कर दिया। फुटेज में हमले के दौरान आरोपी के पिता भी नजर आ रहे हैं। इसके बाद घायल को कार में डालकर के लुत्ता नजर आ रहे हैं।

साहू-समाचार

पुलिस के अनुसार जगदम्बा नगर निवासी 35 वर्षीय मोहन लाल पुत्र मुन्ना लाल रजनी विहार में सक्की का ठेला लगाता है। मोहन नशे का भी आदी बताया जा रहा है। मंगलवार देर रात करीब साढ़े 10 बजे वह शराब पीकर रजनी विहार में पार्क के सामने उत्पात मचा रहा था। इस पर मोहन के पास में रहने वाले क्षितिज शर्मा से कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद क्षितिज शर्मा अपने मकान में गया और वहां से बल्ला लेकर आया और मोहन पर सिर और शरीर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। इससे मोहन लाल गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के दौरान आरोपी का पिता भी घटना स्थल पर मौजूद था। हमले के बाद आरोपी के परिजनों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना के संबंध में कामिनी पत्नी मुन्ना लाल ने मामला दर्ज करवाया है।

आत्महत्या के लिए उकसाने वाले तीन लोग गिरफ्तार

जयपुर (का.सं.)। बजाज नगर पुलिस ने एक व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच-अधिकारी एसआई फूलचंद ने बताया आरोपित नितिन काबरा (35) निवासी ई-24, मंगलम सिटी करधनी, सुनील सैनी (45) निवासी 6ए, पार्वती नगर, मानसरोवर और मोहम्मद असगर (26) निवासी ए-287, वन विहार कॉलोनी, गलता गेट को गिरफ्तार किया गया है। मृतक गोविन्द सैनी (49) निवासी बी-10, आनंदपुरी, मोती इंगरी एक कंपनी में गाड़ी बेचने का काम करता है। वह इन पैसों को अवैध रूप से अपने बैंक खाते में लेता था। इसी कंपनी में नितिन काबरा अकाउंटेंट है। गोविंद रुपयों को नितिन, सुनील और असगर के साथ बांट लेता था। इस गबन का जब कंपनी को पता चला तो गोविन्द मानसिक अवसाद में आ गया। वहीं, नितिन, सुनील और असगर द्वारा उसे आत्महत्या के लिए उकसाया गया, जिनसे प्रताड़ित होकर उसने जहर खा कर आत्महत्या कर ली।



जयपुर। श्री प्रेमभाया मंडल समिति की ओर से आयोजित 84 वें श्री प्रेमभाया महोत्सव के तीन दिवसीय भक्ति संगीत समारोह के तीसरे दिन धूमधाम से नगर कीर्तन निकाला गया। जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। शाम को महाआरती के साथ शुरु हुए नगर कीर्तन में श्री प्रेमभाया सरकार का नयानिर्माण श्रृंगार कर रथ में विराजमान किया गया। श्रांभ में दीपक शर्मा ने भजो राधे गोविंद भजो राधे की टेर लगवाई। लोकेश सैनी ने कद आवाला कन्हैया म्हारे द्वार में ठाडी न्हांलू बाटेली... अभिषेक साहू ने तरस हरयो, दरश

साहू-समाचार

माहवारी स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम



जयपुर, (का.सं.)। मानव सेवा ट्रस्ट राजस्थान एवं महिला सशक्तिकरण फाउंडेशन की ओर से प्रताप नगर में महिलाओं एवं बालिकाओं को माहवारी स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता एन.बी.सी. कैफे की डायरेक्टर दिव्या गोयल ने महिलाओं को माहवारी के दिनों में स्वच्छता का ध्यान रखने की सलाह दी। किशोरियों को मासिक धर्म के बारे में बताया एवं इस सम्बन्ध में खुल कर चर्चा होनी चाहिए ताकि गंभीर संक्रमण या बीमारी से बचा जा सके। स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर में प्रोफेसर, ट्रस्ट सदस्य एवं मिडिया प्रभारी प्रो. डॉ. राजीव सक्सेना ने बताया कि ट्रस्ट की ओर से गत 8 वर्षों में 160 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर निःशुल्क सेनेटरी पैड्स का वितरण किया जा रहा है। पता न.बी.सी. कैफे की तरफ से 100 महिलाओं को निःशुल्क सेनेटरी पैड्स भी वितरित किये गए। महासचिव दुर्गा वर्मा ने बताया कि महिलाओं एवं बालिकाओं को माहवारी स्वच्छता के बारे में जागरूक करने के लिए अभिनव पहल अच्छे दिन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कच्ची बस्तियां, ग्रामीण क्षेत्रों, स्वामि एरिया में जाकर मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूक कर सेनेटरी नैपकिन के उपयोग के महत्व के बारे में किशोरियों और महिलाओं के बीच जागरूकता पैद की जा रही है, जिसमें आंगनवाड़ियों, विद्यालयों और गांवों को सम्मिलित किया जा रहा है। इस अवसर पर दिव्या गोयल, दुर्गा वर्मा, सुमन देवी, अंजू वर्मा, पुष्पलता, विद्या देवी, कौशल सत्यार्थी मौजूद रहे।

भाजपा प्रत्याशी मंजू शर्मा का स्वागत जयपुर। श्री शिव महापुराण कथा समिति के सदस्यों ने जयपुर शहर से भाजपा प्रत्याशी मंजू शर्मा का उनके प्रधान कार्यालय पर स्वागत एवं अभिनंदन किया। समिति के महामंत्री अरुण खटोड़ ने बताया कि मंजू शर्मा समिति की संस्थापक सदस्य और उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। वहीं इस समिति की स्थापना भी मंजू शर्मा के पिता और भाजपा के वरिष्ठ नेता दिवंगत बंजरलाल शर्मा की प्रेरणा से हुई थी। मंजू शर्मा को जयपुर शहर से लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने के निर्णय से समिति के सभी सदस्य अत्यधिक प्रसन्न एवं उत्साहित हैं तथा भगवान शिव से मंजू शर्मा के रिकॉर्ड मर्तो से विजय होने की प्रार्थना करने के साथ पूरा प्रयास भी करेंगे।